राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक– प. 6(2)साप्र/3/81 जयपुर, दिनांकः 05/09/2023

–:आज्ञा:–

विषयः– वर्दी भत्ते की दरें निर्धारित करने बाबत।

राज्य कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की दरों के संबंध में जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2015 एवं दिनांक 22.06.2018 द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2023–24 से वर्दी भत्ते की दरें निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान दर (रु.)	संशोधित दर (रु.)
1.	नर्स (नर्सिंग स्टाफ)	2250 रु./–	2750 रु./–
2.	सचिवालय के जमादार	2250 रु./–	2750 रु./–
3.	अन्य विभागों के जमादार	1800 रु./–	2250 रु./–
4.	ड्राईवर	1800 रु./–	2250 रु./–
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1650 रु./–	2000 रु./–
6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1950 रु./–	2350 रु./–
7.	तकनीकी कर्मचारी	1650 रु./–	2000 रु./–
8.	पशुपालन विभाग के पशु परिचारक	–	2000 रु./–

नोटः– क्रम संख्या 8 पर अंकित पशुपालन विभाग के पशु परिचारक का पद पूर्वोक्त आदेश दिनांक 16.06.2015 में सम्मिलित कर नवीन रूप से जोड़ा गया है।

वर्दी भत्ते के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा–निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होंगे।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. सं. 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। **यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

राज्यपाल **की आज्ञा से,**

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा.राज्यपाल/मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. महालेखाकार, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्षगण (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित), राजस्थान।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, सेल्सटैक्स ट्रिब्यूनल, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव